न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3532–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–12–2011 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) जिला इंदौर के प्रकरण कमांक 96/अपील/2010–11.

.....

शेख मोहम्मद इमरान पिता शेख मोहम्मद युनुस
निवासी 41 गफुर खॉ की बजरिया,
इंदौर म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–साबिर पिता खाजु
निवासी ग्राम बांक तहसील व जिला इंदौर म0प्र0
2–श्रीमती अनिशा बी पति कमाल पटेल
निवासी ग्राम खेतरिया तहसील सांवेर जिला इंदौर
3–श्रीमती रईसा बी पति जाफर पटेल
निवासी ग्राम बांक तहसील व जिला इंदौर

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी एवं टी.टी.गुप्ता, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 5/11/2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार इन्दौर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बांक तहसील इंदौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 19/3/2 रकवा 0.338 हेक्टर एवं सर्वे कमांक

116/3 रकबा 0.240 हेक्टर भूमि आवेदक द्वारा क्रय की जाकर राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज हो गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमि का बटांकन एवं नक्शा चिन्हित किये जाने के आदेश देने का कष्ट करें । नायब तहसीलदार इंदौर द्वारा प्रकरण कमांक 12/अ–3/10–11 दर्ज कर दिनांक 31–3–11 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का बटांकन स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 एवं गुलशन बी द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–12–2011 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के बटांकन के संबंध में हित रखने वाले सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये गुणदोष के आधार पर आदेश पारित किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 1 व 2 से सर्वे कमांक 116/3 रकबा 0.40 हेक्टर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है, उक्त विक्रय पत्र में वर्णित चतुर्सीमा के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–3–11 को जो बटांकन आदेश पारित किया गया है वह वैधानिक एवं उचित आदेश है।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना आवेदक को सूचना दिये आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(3) वर्तमान में आवेदक की आयु 30 वर्ष है जबकि सूचना पत्र में मसर्रत पर तामील होना बताया गया है, जो कि उसकी पोती है और उसकी उम्र इतनी नहीं थी कि वह अग्रेंजी में हस्ताक्षर करती ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान गुलशन बी की मृत्यु हो गई थी परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसके वारिसान को अभिलेख पर नहीं लिया गया है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 70 में उल्लेखित प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किये जाने से निरस्ती योग्य है ।

(6) प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज होकर वर्ष 2000 से वर्ष 2005 से आवेदक के मकानात, स्टाफ क्वार्टर एवं गोदाम निर्मित है एवं चारों ओर बाउण्ड्रीवाल निर्मित है जहॉ कर्मचारी निवास करते हैं अतः यह प्रमाणित है कि आवेदक का आधिपत्य स्थापित है, इसलिये तहसीलदार का बटांकन आदेश उचित होने से उसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गम्भीर भूल की गई है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ प्रकरण में अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 1 एवं श्रीमती गुलशन बी द्वारा आवेदक को पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से विकय की गई है, और विकय पत्र में प्रश्नाधीन भूमि की चतुर्सीमा भी दर्शाई गई है । तहसील न्यायालय के अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा विकेतागण द्वारा आवेदक को सौंप दिया गया है, और अनावेदकगण द्वारा कब्जे के संबंध में कोई भी आपत्ति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में बटांकन आदेश पारित करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा केवल इस आधार पर तहसीलदार न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है कि बटांकन आदेश पारित करने के पूर्व तहसील न्यायालय द्वारा हितबद्ध पक्षकार अनावेदकगण को कोई सूचना नहीं दी गई है । संहिता की धारा 42 के अन्तर्गत कोई भी आदेश इस कारण से उल्टा नहीं जायेगा कि सम्मन, सूचना, उद्घोषणा, वारंट तामील कराने में गलती की गई है, जब तक कि उक्त कार्यवाही से किसी पक्षकार के विरूद्ध तथ्यात्मक अन्याय नहीं हुआ हो । इस संबंध में जैसा कि उपर विश्लेषण किया गया है कि तहसीलदार द्वारा बटांकन आदेश

पारित करने में अनावेदकगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अन्यायपूर्ण कार्यवाही होना परिलक्षित नहीं होता है । स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विपरीत होकर अवैधानिक आदेश है, इसलिये उसे स्थिर नहीं रखा जा सकता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2011 निरस्त किया जाता है । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–3–11 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर